>

Title: Need to change the eligibility criteria for classification of 'minority concentrated districts' by reducing the cut-off mark of such population from the existing 25 per cent to 20 per cent.

श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर): देश में जिन जिलों में अल्पसंख्यक आबादी 25 प्रतिशत से ज्यादा है वही विशेष अल्पसंख्यक जिले घोषित किए गए हैं। देश में कई जिले ऐसे हैं जहां पर कुछ ब्लाकों में अल्पसंख्यक आबादी 25 प्रतिशत से ज्यादा है परंतु जिलों में रहने वाले अल्पसंख्यक आबादी 25 प्रतिशत से कम है। इन ब्लाकों में रहने वाले अल्पसंख्यक वर्ग को अल्पसंख्यक विशेष जिलों का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि वे अत्यंत गरीब एवं दयनीय हालत में है। उदाहरण के तौर पर मेरे संसदीय क्षेत्र बाड़मेर एवं जैसलमेर ऐसे जिले हैं जहां पर अल्पसंख्यक विशेष जिलों का लाभ अल्पसंख्यकों को नहीं मिल पा रहा है।

सरकार से अनुरोध है कि विशेष अल्पसंख्यक जिलों के स्थान पर विशेष अल्पसंख्यक की आबादी का प्रतिशत 25 प्रतिशत के स्थान पर 20 प्रतिशत रखा जाए व जिले के स्थान पर ब्लॉक को इकाई माना जाए जिससे गरीब एवं दयनीय हालत में रहने वाले अल्पसंख्यकों का विकास हो सके।